1-1-16 ~~वकील वादी/प्रतिवादी~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~
उपस्थित है/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-1-16 को पेश हो।
रीडर

2-1-16 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~
उपस्थित है/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24-2-16 को पेश हो। प्रति० नं० 3 ने उपस्थित राजीनामे से सहमति व्यक्त की। रीडर

24-2-16 वकील वादी उप० है। बहस हेतु पत्रावली दि० 29-2-16 को पेश हो।

29-2-16 वकील वादी उप० है। बहस को समय चाहते है। अतः बहस हेतु पत्रावली दि० 2-3-16 को पेश हो।

2-3-16 वकील वादी उपस्थित है। बहस हेतु पत्रावली दि० 12-3-16 को पेश हो।

12-3-2016 पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित है। उभयपक्ष के वकीलों ने राजीनामा अनुसार वादी का वाद निर्णित करने का निवेदन किया है। अतः राजीनामा अनुसार वादी को ग्राम चूली में स्थित भूमि ख०नं० $\frac{1589}{0.42}$, $\frac{1590}{0.41}$, $\frac{1591}{0.16}$, $\frac{1592}{0.20}$, $\frac{1617}{0.22}$, $\frac{1618}{0.18}$, $\frac{1619}{0.25}$, $\frac{1933}{1.35}$, $\frac{1934}{2.75}$ में रामदेव पुत्र कालु के स्थान पर $\frac{1}{5}$ हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज

जगदीश ने प्रतिवादी राजीनामे से सहमत है मुझे कोई आपत्ति नहीं
जगदीश
22/1/1...

उमेद
रमेश
मोहन
पप्पु
हीरा
भोला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्वर व अहकाम हुक्म की ... में जा...
	दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	(रविकुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी	
	(गोरधनलाल शर्मा) सेवानिवृत तहसीलदार सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी	
	(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

THIS CORRUGATED FIBREBOARD HAS AN ...

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
105/2015	07.09.2015	12.03.2016

रामसहाय दत्तक पुत्र स्व0 रामहेत गुर्जर, चूली तहसील गंगापुर सिटी ---वादी

बनाम

1. अर्जुन पुत्र जगन्नाथ, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. लच्छी पुत्र जगन्नाथ, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
3. जगदीश पुत्र जयनारायण, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
4. मोहरसिंह पुत्र जयनारायण, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
5. छुट्टन पुत्र जयनारायण, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
6. अंगूरी पुत्री जयनारायण, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
7. रज्जो पुत्री जयनारायण, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
8. गीता पुत्री जयनारायण, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
9. रमेश पुत्र अमरया, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
10. पप्पू पुत्र अमरया, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
11. सम्पत्ति पुत्री अमरया, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
12. नर्वदा पत्नि स्व0 अमरया, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
13. रतनसिंह पुत्र फौंदया, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
14. सीताराम पुत्र फौंदया, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
15. राधेश्याम पुत्र फौंदया, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
16. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ---प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:- श्री रविशंकर शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री हरिशंकर शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 ता 15 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0नं0 1589 रकबा 42 एयर, ख0नं0 1590 रकबा 41 एयर, ख0नं0 1591 रकबा 16 एयर, ख0नं0 1592 रकबा 20 एयर, ख0नं0 1617 रकबा 22 एयर, ख0नं0 1618 रकबा 18 एयर, ख0नं0 1619 रकबा 25 एयर, ख0नं0 1933 रकबा 1.35 हैक्टर, ख0नं0 1934 रकबा 2.75 हैक्टर कुल रकबा 5.94 हैक्टर ग्राम चूली में स्थित है। इस भूमि में वादी के दत्तक पिता रामहेत का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी 3 ता 8 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी 9 ता 12 का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 13 ता 15 का 1/5 हिस्सा सहखातेदारी में चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे हैं। वादी का काका रामहेत पुत्र बाला अविवाहित था एवं इसके कोई सन्तान नहीं थी। सन्तानहीन होने के कारण रामहेत ने अपने जीवनकाल में ही सं0 2051 में अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल पक्ष को सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार वादी को गोद लिया था। गोद लेने के बाद से ही वादी ने अपने दत्तक पिता रामहेत की सेवा बतौर पुत्र की है तथा रामहेत की मृत्यु दिनांक 1.1.2001 के बाद उसके समस्त क्रिया कर्म वादी ने ही किए हैं। मृतक रामहेत की पगडी भी पांच आदमियों के समक्ष वादी के ही बांधी गई तथा तभी से वादी मृतक रामहेत की

समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज है। वादी के प्राकृतिक पिता की मृत्यु के बाद उसके हिस्से 1/5 का नामान्तरकरण संख्या 1302 दिनांक 18.7.2014 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खोला जा चुका है एवं वादी को अपने प्राकृतिक पिता की भूमि में से कोई हिस्सा नहीं दिया गया। रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं होने के कारण मृतक रामहेत के हिस्से की 1/5 भूमि में नामान्तरकरण वादी के नाम नहीं खोला जा सका । अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 1589 रकबा 42 एयर, ख0नं0 1590 रकबा 41 एयर, ख0नं0 1591 रकबा 16 एयर, ख0नं0 1592 रकबा 20 एयर, ख0नं0 1617 रकबा 22 एयर, ख0नं0 1618 रकबा 18 एयर, ख0नं0 1619 रकबा 25 एयर, ख0नं0 1933 रकबा 1.35 हैक्टर, ख0नं0 1934 रकबा 2.75 हैक्टर कुल रकबा 5.94 हैक्टर ग्राम चूली में वादी के दत्तक पिता रामहेत के हिस्से 1/5 की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के दत्तक पिता रामहेत की भूमि हिस्सा 1/5 को जब तक फेरबदल नहीं करें तब तक कि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दुरूस्ती नहीं हो जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 16 बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15 की ओर से दिनांक 12.12.2015 को राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि भूमि ख0नं0 1589 रकबा 42 एयर, ख0नं0 1590 रकबा 41 एयर, ख0नं0 1591 रकबा 16 एयर, ख0नं0 1592 रकबा 20 एयर, ख0नं0 1617 रकबा 22 एयर, ख0नं0 1618 रकबा 18 एयर, ख0नं0 1619 रकबा 25 एयर, ख0नं0 1933 रकबा 1.35 हैक्टर, ख0नं0 1934 रकबा 2.75 हैक्टर कुल रकबा 5.94 हैक्टर ग्राम चूली में वादी के दत्तक पिता रामहेत के हिस्से 1/5 भूमि का वादी को खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। यह वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि रही है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। पक्षकारों ने राजीनामा के अनुसार वाद वादी डिक्री करने का निवेदन किया। यह राजीनामा तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12 की ओर से दिनांक 18.12.2015 को राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि भूमि ख0नं0 1589 रकबा 42 एयर, ख0नं0 1590 रकबा 41 एयर, ख0नं0 1591 रकबा 16 एयर, ख0नं0 1592 रकबा 20 एयर, ख0नं0 1617 रकबा 22 एयर, ख0नं0 1618 रकबा 18 एयर, ख0नं0 1619 रकबा 25 एयर, ख0नं0 1933 रकबा 1.35 हैक्टर, ख0नं0 1934 रकबा 2.75 हैक्टर कुल रकबा 5.94 हैक्टर ग्राम चूली में वादी के दत्तक पिता रामहेत के हिस्से 1/5 भूमि का वादी को खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। यह वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि रही है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। पक्षकारों ने राजीनामा के अनुसार वाद वादी डिक्री करने का निवेदन किया। यह राजीनामा तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी स0 2066 से 2069 खाता संख्या 212, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 219, नकल नामान्तरकरण संख्या 1302 दिनांक 5.8.2014, फोटोकोपी गोदनामा दिनांक 8.7.14,

फोटोकोपी प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत चूली दिनांक 5.7.2014, फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र रामहेत गुर्जर, फोटोकोपी राशनकार्ड, फोटोकोपी आधार कार्ड पेश की है।

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान वकीलों को सुना गया। उभयपक्ष के विद्वान वकीलों ने राजीनामा के अनुसार वादी का वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया । वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1589 रकबा 42 एयर, ख0नं0 1590 रकबा 41 एयर, ख0नं0 1591 रकबा 16 एयर, ख0नं0 1592 रकबा 20 एयर, ख0नं0 1617 रकबा 22 एयर, ख0नं0 1618 रकबा 18 एयर, ख0नं0 1619 रकबा 25 एयर, ख0नं0 1933 रकबा 1.35 हैक्टर, ख0नं0 1934 रकबा 2.75 हैक्टर कुल रकबा 5.94 हैक्टर ग्राम चूली में रामहेत पुत्र बाला गुर्जर का 1/5 हिस्सा दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी मृतक रामहेत गुर्जर का गोदपुत्र है एवं मृतक रामहेत गुर्जर के नाम दर्ज भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी को भूमि ख0नं0 1589 रकबा 42 एयर, ख0नं0 1590 रकबा 41 एयर, ख0नं0 1591 रकबा 16 एयर, ख0नं0 1592 रकबा 20 एयर, ख0नं0 1617 रकबा 22 एयर, ख0नं0 1618 रकबा 18 एयर, ख0नं0 1619 रकबा 25 एयर, ख0नं0 1933 रकबा 1.35 हैक्टर, ख0नं0 1934 रकबा 2.75 हैक्टर कुल रकबा 5.94 हैक्टर ग्राम चूली में रामहेत पुत्र बाला के स्थान पर 1/5 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व अभिलेख में रामहेत पुत्र बाला के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.3.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी